प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून

सेवा में,

1. मुख्य अधिशासी अधिकारी,
   यू०एल०डी०बी०/यू०एस०डब्ल्यू०डी०बी०
2. परियोजना निदेशक,
   पशुलोक/कालसी/नरियालगांव/भरारीसैंण/मक्कू
3. समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

पत्रांकः 491 /स्था०एक/वा०स्थाना०/2018–19 दिनांक 24 अप्रैल, 2018

विषयः **उत्तराखण्ड लोक सेवकों हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के क्रम में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु विकल्प प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिनियम के अन्तर्गत धारा–4(3) में वर्णित ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना एवं स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष या शासन स्तर से किये जाते हैं, से उत्तराखण्ड लोक सेवकों हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–9, 12 एवं 14 के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर होने वाले स्थानान्तरणों हेतु 10–10 विकल्प मांगे जाने की व्यवस्था है। शासन स्तर एवं विभागाध्यक्ष से किये जाने वाले स्थानान्तरणों हेतु पात्र कार्मिकों एवं रिक्त/सम्भावित रिक्तियों की सूची विभागीय वैबसाईट **www.ahd.uk.gov.in** पर अपलोड कर दी गई है।

आप अपने अधीन कार्यरत ऐसे कार्मिक, जिनका स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष या शासन स्तर से किया जाना है और जो अनिवार्य/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की परिधि में आ रहे हैं, से इच्छित 10–10 विकल्प मांगकर शीघ्र निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अनिवार्य/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु विकल्प दिये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 15 मई, 2018 है, इसके पश्चात् प्राप्त विकल्पों पर कोई भी विचार नहीं जायेगा।

अतः उक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डा०के०के०जोशी)
निदेशक

पृ०सं०: /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, पशुपालन निदेशालय।
2. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद, देहरादून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड/गो सेवा आयोग, देहरादून।
4. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।

(डा०के०के०जोशी)
निदेशक